कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झाझरा, देहरादून

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून के निष्प्रोज्य पेट्रोल एवं डीजल वाहन क्रमशः सं0 UA07 N 9172 (Ambassdor) मॉडल 2006 एवं UA07 T 1906 (Scorpio) मॉडल 2007 की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 25 नवम्बर, 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विज्ञान धाम, झाझरा, देहरादून में नीलामी हेतु गठित समिति के सम्मुख वैबसाइट पर अपलोड़ शर्तो पर की जायेगी। वाहन के निरीक्षण हेतु इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में परिषद के झाझरा स्थित कार्यालय में आकर निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक सूचना शर्तें एवं विवरण परिषद की वैबसाइट www.ucost.in पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून

नीलामी की शर्तें

1. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली से पूर्व ₹ 5000/– प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग नकद धनराशि के रूप में परिषद के लेखा अनुभाग में जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है। धरोहर राशि बोली की समाप्ति पर (उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।
2. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार कराने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। बिना कारण बताए किसी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
3. नीलामी में कोई व्यक्ति तब तक बोली नहीं बोल सकता जब तक कि नीलामी में उपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो।
4. बोली के दौरान सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमिता की संज्ञान में आने पर बोली निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
5. उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्त होने के बाद सांय 4 बजे तक बोली की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने के 07 दिन के भीतर बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि जमा कर, एक सप्ताह के भीतर वाहन उठाना होगा।
7. अन्तिम स्वीकृति के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
8. वाहन की नीलामी जहां है, जैसी है की स्थिति में है, के आधार पर की जायेगी। उच्चतम बोलीदाता को जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से जमा करना होगा।

प्रशासनिक अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून